फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

महाईश — बनाम — सरकार

मुकदमा संख्या/वर्ष : 47/2021

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	14/8/23	[illegible] वकील प्रार्थी उप[illegible] [illegible] 18/8/23 [illegible]
	18/8/23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश के लिए नियत है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी की बहस को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन करने व बहस को सुनने पर प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एल.आर. एक्ट को गुणावगुणों के आधार पर स्वीकार किया जाता है। तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिख कर शामिल फाईल किया जावे। पत्रावली फौरी तौर पर निस्तारित होकर दफ्तर से कम हो तथा बाद प्रति होकर शामिल दफ्तर हो। 18/08/23 उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जयपुर